

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजा. जयपुर

क्रमांक:-प.1(ग)()का/एसएमई/डीएलवी/19/२०८०

दिनांक (२/२/१९)

-आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शवितयों का प्रयोग करते हुये निम्नान्तरित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदरथापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

| क्र.सं. | नाम कार्मिक | पदनाम | कहाँ से | कहाँ को |
|---------|-------------------|--------------|----------------|----------|
| 1 | श्री गुरजगान | कनिष्ठ लिपिक | श्रीदूर्गारगढ़ | राजलदेसर |
| 2 | श्री हरिश गुर्जर | कनिष्ठ लिपिक | एपीओ निदेशालय | राजलदेसर |
| 3 | श्री प्रमोद कुमार | कनिष्ठ लिपिक | एपीओ निदेशालय | छापर |

अतः उक्त कर्मचारी को तुरन्त पदरथापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करायें।

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करायें अन्यथा व्यक्तिशः जिमेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारी का रोयाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जायें।
- यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जायें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करायें।
- यदि कर्मचारी रोयानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जायें।
- वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जायें।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक : १२/२/१९

क्रमांक : प.1(ग)()का/एसएमई/डीएलवी/19/२०८१-२०९०

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजा. जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
- उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/बीकानेर।
- अध्यक्ष/अधिशापी अधिकारी/नगर पालिका, राजलदेसर।
- संविधित कर्मचारी श्री।
- सुरक्षित पत्रावली।


(डॉ वीरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)